

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 34ए/2016

संस्थित दिनांक 13.05.2014

1. प्रेमबती उम्र 42 वर्ष पति लच्छीराम
जाति बंजारा निवासी वार्ड नम्बर-7
चन्द्रशेखर आजाद क्षेत्र बैहर तहसील
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

.....वादिनी

विरुद्ध

1. ब्लॉक मेडिकल आफिसर शासकीय
चिकित्सालय बैहर (डा. एन.एस.कुमरे)
चिकित्सालय कम्पाउंड बैहर तहसील
बैहर जिला बालाघाट म0प्र0
2. श्रीमान तहसीलदार बैहर, जिला बालाघाट म0प्र0
3. श्रीमान कलेक्टर जिला-बालाघाट म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक **22.12.2016** को घोषित ::—

01. वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मकान भूखण्ड क्रमांक 97/1क, 97/1ड. रकबा 408 वर्ग फुट वार्ड क्रमांक 07 चंद्रशेखर आजाद बैहर जिला बालाघाट के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी वादग्रस्त सम्पत्ति के उक्त मकान को गृह निवास हेतु उपयोग कर अपने परिवार सहित निवास करती चली आ रही है। तथा दिनांक 08.05.2014 को प्रतिवादी गण द्वारा उक्त मकान को पटवारी से जांच कर तुड़वाने की बात कही गयी जिस पर दिनांक 09.05.14 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 02 तहसीलदार बैहर को उक्त संबंध में जानकारी देने पर उसे कहा गया कि मकान तोड़ने के आदेश कलेक्टर न्यायालय से हुये हैं।

03. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी परित्यक्ता बंजारा जाति की गरीब असहाय महिला है और वह वादग्रस्त संपत्ति भूमि खसरा नम्बर 97/1क, 97/1ड. लम्बाई चौड़ाई, उत्तर में 24 फुट, दक्षिण में 24 फुट, पूर्व तथा पश्चिम में 17-17 फुट जिसके चारों दिशाओं में शेष बचत भूमि है, पर विगत 21 वर्षों से मकान बनाकर अपने परवार सहित निवास करते चली आ रही है। वादी को राजीव गांधी आश्रय योजना 2003 के अनुसार दिनांक 20.09.03 को 30 वर्ष की कालावधि के लिए म0प्र0नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के उपबंधों तथा नियमों के अनुसार उक्त भूमि का पट्टा प्रदान किया है तथा उक्त पट्टा म.प्र. के राज्यपाल की ओर से प्राधिकृत अधिकारी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बैहर के द्वारा अपनी पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से राजस्व प्रकरण क्रमांक 7अ-20(2) वर्ष 2002-03 में प्रदान किया गया है। पट्टा प्रदान करने के पूर्व राजस्व अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा वादी के निवासरत मकान के मौके पर जाकर सत्यापन किया गया था तथा वादी के अलावा उक्त भूमि पर अन्य लोगों को भी अधिकार प्रदान कर पट्टा दिया गया है।

04. उक्त मकान में वादी अपने परिवार सहित शांतिपूर्ण लगातार निवास करती चली आ रही है तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके उक्त अधिकार पत्र (पट्टा) को निरस्त नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 दिनांक 08.05.2014 को वादी के मकान पर आकर उसे तुड़वाने की बात कहने लगे। जिसके पश्चात वादी की आपत्ति पर पटवारी द्वारा कहा गया कि तहसीलदार के आदेश से जांच हो रही है। तब वादी दिनांक 09.05.2014 को तहसीलदार बैहर प्रतिवादी क्रमांक 02 के पास जाकर उक्त संबंध में निवेदन की जिसके पश्चात उससे कहा गया कि उक्त मकान को तोड़ने का आदेश कलेक्टर न्यायालय से हुआ है तब वादी को यह शंका उत्पन्न हो गयी कि प्रतिवादीगण विधि एवं साम्य का उल्लंघन कर विधि विरुद्ध रूप से वादी को उक्त मकान से जबरन बेघर कर देंगे। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा विधि अनुसार वादिनी को उक्त संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है। बेघर होने पर वादी को अपरिमित क्षति होगी जबकि उसे शासन की उक्त योजना अनुसार अधिकार पत्र प्रदान किया गया है तथा ऐसा भी नहीं है कि लोकहित में बस्ती का अन्यत्र व्यवस्थापन विनिश्चय कर वादी का व्यवस्थापन किया गया हो। फलतः वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण को विधि विरुद्ध रूप से वाद को बेदखल करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किये जाने हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत है।

05. स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि नजूल भूमि खसरा नम्बर 97/1क, 97/1ड. रकबा 9.01 एकड़ भूमि पटवारी हल्का नम्बर 17/2

मौजा बैहर में से रकबा 6.32 एकड़ भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का कब्जा होकर अस्पताल तथा उसकी बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। बाउण्ड्रीवाल के अंदर वादी द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्मित किया गया है। जबकि राजस्व अभिलेखों में कहीं भी उक्त भूमि उसके हक मालिकी में दर्ज नहीं है। कई बार मौखिक लिखित सूचना देने के बाद भी वादी द्वारा अतिक्रमण कब्जा नहीं हटाया गया है। समग्र अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत वादी को वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटाने की सूचना प्रेषित की गयी थी परंतु उसके द्वारा अतिक्रमण आधिपत्य रिक्त नहीं किया गया। साथ ही वादग्रस्त भूमि में से किस भू-भाग पर राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत उसे भू-अधिकार प्रदान किया गया है वह स्पष्ट नहीं है। वादी के अतिक्रमण कब्जे को हटाकर शासकीय अस्पताल बैहर को वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाये जाना न्याय हित में आवश्यक है। फलतः वर्तमान वाद मनगढ़ंत होकर शासकीय भूमि हड़प करने के आशय से प्रस्तुत होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

06. उभय पक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद के उचित निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नांकित वाद प्रश्न विरचित किये जिनके निष्कर्ष मेरे द्वारा साक्ष्यगत विवेचना उपरांत समक्ष अंकित हैं:—

क्र 0	अवधारणीय प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वार्ड क्रमांक 07 चंद्रशेखर आजाद, तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित भू-खण्ड 97/1क, 97/1ड. के क्षेत्रफल $17 \times 24 = 408$ वर्ग फुट वर बने मकान पर वादी के आधिपत्य में प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	“ प्रमाणित ”
2	सहायता एवं वाद व्यय ?	निर्णय की कण्डिका “13” के अनुसार

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष:-**विवादक प्रश्न क्रमांक 01**

07. वाद का समर्थन करते हुए प्रेमबती (वा0सा01) का कथन है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97/1क, 97/1ड. लम्बाई-चौड़ाई, उत्तर दक्षिण में 24-24 फुट तथा पूर्व व पश्चिम में 17-17 फुट कुल 408 वर्ग फुट भूमि चंद्रशेखर आजाद नजूल भूमि बैहर पर विगत 21 वर्षों से मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास करते चली आ रही है। तथा उसे राजीव गांधी आश्रय योजना 2003 के अनुसार दिनांक 20.09.03 को अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा राजस्व प्रकरण 7अ-20(2) वर्ष 2002-03 में 30 वर्ष की कालावधि के लिए म0प्र0नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्तियों (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अधिकार पत्र को निरस्त नहीं किया गया है। दिनांक 08.05.2014 को प्रतिवादी क्रमांक 01 ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर उसके मकान के पास आकर पटवारी की जांच पश्चात तुडवाने की बात कहने लगे जिस पर उसकी आपत्ति पश्चात उसे यह जानकारी दी गयी कि उसके मकान को तोड़ने के आदेश उपर से कलेक्टर न्यायालय से हुआ हैं। तब उसे यह शंका उत्पन्न हो गयी कि प्रतिवादी क्रमांक 01 विधि एवं साम्य का उल्लंघन कर उसे उक्त भूमि से जबरन हटाकर बेघर कर देंगे।

08. प्रेमबती (वा0सा01) के अनुसार उसे शासकीय योजना अनुसार पट्टाधृति अधिकार प्रदान किया है तथा किसी अन्यत्र स्थान पर उसका व्यवस्थापन नहीं किया गया है। बेदखल करने पर उसे अपरिमित क्षति होगी क्योंकि उक्त मकान के अलावा उसके पास अन्य कोई निवास की व्यवस्था नहीं है और उसे बेघर होना पड़ेगा। उसके द्वारा वाद के समर्थन में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पदत्त अधिकार पत्र की असल प्रति प्र.पी01, कलेक्टर बालाघाट को प्रेषित नोटिस की डाक रसीद प्र.पी02 तथा रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्र.पी03 प्रस्तुत किया है।

09. दावे से इंकार कर प्रतिवादी क्रमांक 01 डां.एन.एस.कुमरे (प्र0सा01) का कथन है कि वादी द्वारा शासकीय अस्पताल की बाउण्ड्रीवाल के भीतर अवैध रूप से मकान निर्मित कर उपयोग किया जा रहा है। उक्त मकान राजस्व प्रलेखों में कहीं भी उसके हक मालिकी में दर्ज नहीं है। वादी को कई बार शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु मौखिक व लिखित सूचना दी जाने के बाद भी आज दिनांक तक उसके द्वारा अतिक्रमक कब्जा नहीं हटाया गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97/1क, 97/1ड. रकबा 9.01 एकड़ भूमि में से किस भू-भाग पर उसे भू-अधिकार प्रदान किया गया है यह भी स्पष्ट नहीं है। वादी बिना किसी

हक व अधिकार के शासकीय भूमि पर अतिक्रामक कब्जा किये हुये है। जोकि बेदखल किये जाने योग्य है। उसके द्वारा जवाब दावा के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के पाच साला खसरा की प्रति प्र.डी01 प्रस्तुत की गयी है।

10. वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य तथा प्रतिवादीगणों द्वारा वादी को आधिपत्यविहीन करने का प्रयत्न स्वीकृत है। प्रेमबती (वा0सा01) द्वारा यह स्वीकृत किया गया है कि उसका मकान अस्पताल की बाउण्ड्रीवाल के अंदर बना है परंतु बाउण्ड्रीवाल बाद में बनी है। डां.एन.एस.कुमरे (प्र0सा01) ने भी उक्त कथन को स्वीकार किया है वादी का मकान पूर्व से निर्मित था तथा बाउण्ड्रीवाल बनने के बाद वादी का मकान उसके अंदर आ गया। डां. एन.एस.कुमरे (प्र0सा01) के अनुसार अस्पताल की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर 8-10 अन्य लोगों के मकान बने हुये हैं। मानसिंह परते (प्र0सा02) राजस्व निरीक्षक ने भी उक्त कथन की पुष्टि की है कि उसके अनुसार हास्पिटल की भूमि के अंदर वादी के अतिरिक्त झीनीबाइ का मकान बना है। तथा उक्त दोनों व्यक्तियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के अनुसार अधिकार पत्र प्राप्त है।

11. प्रतिवादीगण का एक मात्र बचाव यह है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में वादी का नाम दर्ज नहीं है। जबकि स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा पेश पांचसाला खसरा प्र.डी01 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97/1क, 97/1ड. भूमि खुली नजूल जगह के रूप में दर्ज है। अधिकार पत्र प्र.पी01 में स्पष्ट रूप से वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97/1क, 97/1ड. उत्तर-दक्षिण में 24-24 फुट, पूर्व-पश्चिम में 17-17 फुट कुल 408 वर्ग फुट पर 30 वर्षों के लिए म0प्र0नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के उपबंधों तथा नियमों के अधीन अधिकार प्रदान किया गया है। और उक्त पट्टाधृति अधिकार को रद्द नहीं किया गया है। उक्त अधिकारपत्र प्र.पी01 को प्रतिवादीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अपितु उसके अस्तित्व को स्वीकृत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी को कई बार मौखिक व लिखित रूप से शासकीय भूमि पर स्थित मकान को हटाने हेतु कहा गया परंतु उसके द्वारा अतिक्रामक आधिपत्य बनाये रखा गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को शासकीय भूमि से हटाने की सूचना के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादग्रस्त भूमि का कोई सीमांकन भी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि वादी का आधिपत्य अतिक्रामक है।

12. मानसिंह परते (प्र0सा01) राजस्व निरीक्षक ने वादग्रस्त स्थल का स्थल निरीक्षण करने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में किसी प्रकार का सीमांकन नहीं करना स्वीकृत किया है। वादग्रस्त भूमि पर अस्पताल निर्माण के पूर्व से वादी का आधिपत्य स्वीकृत है तथा उसे

शासन की योजना के अनुसार उक्त भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया है। फलतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसका आधिपत्य अतिक्रामक के रूप में है क्योंकि प्रतिवादीगण इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपितु उन्होंने स्वयं उसके शांतिपूर्वक आधिपत्य को स्वीकार किया है। न्याय दृष्टांत— रामदान मृत द्वारा एल.आर. विरुद्ध अर्बन इंप्रूवमेण्ट ट्रस्ट (2014) 8.एस.सी.सी.902. के अनुसार एक व्यक्ति जो भूमि के आधिपत्य में है वह मूल स्वामी को छोड़कर पूरे संसार के विरुद्ध ही अच्छा स्वत्व रखता है। मूल स्वामी विधि की प्रक्रिया अपनाकर आधिपत्य वापस लेने की कार्यवाही कर सकता है। ऐसा व्यक्ति स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी होता है कि उसे विधि की प्रक्रिया अपनाकर ही संपत्ति से निष्काषित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विधि विरुद्ध रूप से स्थापित आधिपत्य से विहीन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि अधिकार पत्र प्र.पी01 की शर्तों के अनुसार उसका अन्यत्र व्यवस्थापन नहीं किया है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 02

13. परिणाम स्वरूप वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त संपत्ति मकान भूखण्ड क्रमांक 97/1क, 97/1ड़ रकबा 408 वर्ग फुट वार्ड क्रमांक 07 चंद्रशेखर आजाद वार्ड बैहर जिला बालाघाट के संबंध में वादी के आधिपत्य में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से हस्तक्षेप करने हेतु स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।
14. वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।
15. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी न्यून हो देय होगा।
16. तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

दिनांक 22.12.2016

स्थान — बैहर म.प्र.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)